

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-90/2020

1. जावेद खान उर्फ मनुवा उर्फ मनुवा खान
 2. कोलाहा भगत उर्फ मिथुन भगत
- याचिकाकर्तागण
बनाम्
झारखण्ड राज्य विरोधी पार्टी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री गौरव, अधिवक्ता।

विरोधी पक्ष के लिए: श्री दीपक कुमार, ए०पी०पी०।

02/17.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्तागण कामदारा थाना काण्ड संख्या 24/2018 तदनुसार जी०आर० संख्या 544/2018 के संबंध में आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि जब मुखबिर अपने वाहन पर था, तो बदमाश ऑल्टो कार में आये और नकदी, सूचक के ए०टी०एम० कार्ड और आधार कार्ड के साथ-साथ उसके दोस्तों को लूट लिया गया। लगता है कि याचिकाकर्ताओं को विशाल कोंगरी उर्फ नेपाली के स्वीकारोक्ति बयान पर फंसाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई है और याचिकाकर्ता 30.10.2019 से हिरासत में हैं।

चूँकि याचिकाकर्त्ताओं को केवल संदेह पर फंसाया गया है, इसलिए उन्हें 10,000/— (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, ए0सी0जे0एम0, गुमला के संतुष्टि पर, कामदारा थाना काण्ड संख्या 24/2018 तदनुसार जी0आर0 संख्या 544/2018 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, जे0)

